(व्यवधान)

मामला यह है कि मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैंने अपनी बात कहने के लिये अनुमति मांगी लेकिन अनुमति नहीं दी गई। मुझे इस पर आपत्ति है।

(व्यवधान)

तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सभाभवन से बाहर चले गये।

At this stage, some hon. Members left the house.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई : खेद की बात है कि सदस्यों ने ऐसी बातें कहीं हैं जो नहीं कहीं जानी चाहिये। मैं गलत बातों के लिये उनसे लड़ नहीं सकता। कितना समय और धन खराब हुआ है। लेकिन संसदीय जीवन में ऐसा होता रहता है। लेकिन इस सरकार को दोष क्यों दिया जा रहा है? हम उन्हें कोई निदेश नहीं दे सकते।

यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को हिन्दी में अभिभाषण न दे पाने के लिये क्षमा याचना नहीं करनी चाहिये थी। राष्ट्रपति जी ने क्षमा याचना नहीं की है। इसके बजाय उन लोगों को क्षमा मांगनी चाहिये जो संवैधानिक नीति के विरुद्ध जा रहे हैं। सरकार द्वारा किसी पर हिन्दी थोंपने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फिर यह कहा गया कि केरल तथा अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों को केन्द्र से हिन्दी में संदेश भेजे जा रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं हैं। केन्द्र में यह प्रथा नहीं है।

केन्द्र सरकार सन्देश अंग्रेजी में भेजती है लेकिन साथ ही हिन्दी की एक प्रति भेजी जाती है। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई आपत्ति हो सकती है। यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा सन्देश केवल हिन्दी में भेजा गया है तो हम उसके विरूद्ध अवश्य कार्यवाही करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी विभाग इस प्रकार का कार्य करे।

एक माननीय सदस्य की बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि अभिभाषण राष्ट्रपति पर थोपा गया है और जो बात वह अपनी इच्छा से कहना चाहते थे नहीं कह पाये हैं। मैं यह कहूंगा कि संसद सदस्य होने के नाते वह (सदस्य) यह भी नहीं जानते कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है और राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं। सदैव सरकार की नीति की ही व्याख्या की जाती है। यह बात कोई पहली बार नहीं हुई है। लेकिन कुछ भी बात जबरदस्ती नहीं कहलाई गई है और न ही जबरदस्ती का कोई प्रश्न उठता है।

एक माननीय सदस्य भी यह बात सुनकर की मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तीखेपन, प्रेरणा और दिशा का अभाव है हम किसी के साथ कटुता नहीं रखना चाहते। न तो मैं ही किसी के साथ कटुता रखना चाहता हूं और न ही राष्ट्रपति ऐसा चाहेंगे।

यह भी कहा गया है कि इसमें केवल आधे सच हैं। हमने कौन से अर्द्ध सत्य आपके समक्ष रखे हैं? क्या यह सच नहीं है कि आज कीमतें गत मार्च की कीमतों की अपेक्षा अधिक नहीं हैं? यही राष्ट्रपति ने कहा है। वर्ष भर में थोक मूल्यों में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं यह भी बात हमने कही है। उपभोक्ता मूल्य भी नियमित किये जा रहे हैं उनमें भी कमी हो रही है। आर्थिक समीक्षा से केवल यह सिद्ध होता है कि हम कुछ बात छिपा कर नहीं रख रहे हैं।

कहा गया है कि हम प्रतिपक्ष का सहयोग नहीं ले रहे हैं। यह बात गलत है। हमसे जितना हो सका है हमने प्रतिपक्ष का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की है और कुछ मामलों में—सभी में नहीं—हमें उनका सहयोग भी प्राप्त हुआ है। लेकिन यह कहना कि हमने उनका सहयोग नहीं लिया है, ठीक नहीं है। हम कुछ संवैधानिक उपबन्धों को समाप्त करने हेतु संवैधानिक संशोधन नियंत्रण ला रहे। भूतपूर्व सरकार द्वारा किये गये कुछ संवैधानिक संशोधन हमें स्वीकार्य नहीं हैं अतः हम उन्हें समाप्त करना चाहते हैं इस कार्य में हम प्रतिपक्ष के सदस्यों का सहयोग चाहते हैं और उनसे इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। कुछ बातों में उन्होंने सहमति प्रकट की है इसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों को भी राष्ट्रपति का बग्गी में बैठकर संसद भवन न आना अच्छा लगा है। वह चाहते हैं हम इस सम्बन्ध में और भी आगे बढ़े। समय के साथ साथ हम उनकी अन्य बातें भी मान लेंगे।

फिर यह भी कहा गया है जनता सरकार यह दावा कर रही है जैसे देश के इतिहास में पहली बार यह काम करने का श्रेय उसी को है। शायद जो कुछ हमने कहा है उसका उपहास उड़ाया जा रहा है। हम यह बात कैसे कह सकते हैं। पिछले 30 वर्षों में देश में प्रगति हुई है। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है। हम यह भी नहीं कहते कि इन उपलब्धियों का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा है हम यही कह रहे हैं कि इसके लाभ अधिकांश जनता तक नहीं पहुंचे हैं अब हम एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। इसी का हम दावा कर रहे यदि देश प्रगति न करता तो हमारी क्या स्थिति होती। मैंने यह हमेशा कहा है कि पिछली सरकार ने जो भी कार्य किये हैं उन सब को गलत नहीं ठहराया जा सकता। हो सकता है उनकी कुछ बातें तो गलत हों पर सब नहीं, अधिकांश बातें ठीक हो सकती हैं।

फिर यह भी कहा गया है कि अभिभाषण में कानून और व्यवस्था की समस्या का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बारे में क्या उल्लेख किया जाता? कानून और व्यवस्था की स्थिति में समुचित सुधार नहीं हुआ है यदि सदस्य यह कहना चाहते हैं तो इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन क्या हम इसके लिये जिम्मेदार हैं या देश में इस स्थिति को पैदा करने के लिये हमसे पहले जो शासन कर रहे थे वे जिम्मेदार हैं? यदि इस बात का उल्लेख नहीं किया जाता तो ऐसा कहने का क्या अर्थ है?

'आंसुका' जारी रखने पर आपत्ति की गई है पुराने नजरबन्दी निवारक कानून को समाप्त किया जा रहा है। आपातस्थिति के दो वर्षों के भीतर इस कानून का बहुत दुरुपयोग किया गया लेकिन यदि हिंसा का सामना करना है तो पुराने ढांचे की आवश्यकता है अतः

हर बात में नुक्स खोजने की आदत अच्छी नहीं है देश के हित में तथा अच्छी भावना से किये जाने वाले काम का समर्थन किया जाना चाहिये।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : जब प्रधान मंत्री तथ्यों से विपरीत बातें करेंगे तो हमें विरोध करना ही पड़ेगा। हमारा दल अलग है।

श्री मोरारजी देसाई : कहा गया है कि यदि 'आंसुका' जारी रहेगा तो व्यैक्तिक स्वतन्त्रता हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगी। आंसुका को जारी नहीं रखा जायेगा लेकिन नजरबन्दी निवारक कानून को दण्ड प्रक्रिया संहिता में रखा जा रहा है। यह हिंसात्मक लोगों हेतु लाया गया है। इसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्य से कभी नहीं किया जायेगा लेकिन यदि राजनीतिक कार्य के नाम पर हिंसा का आश्रय लिया जायेगा तो निश्चय ही वह इस श्रेणी के अन्तर्गत आ जायेगा। यह बात हमें भली-भांति समझ लेनी चाहिये।

अल्पसंख्यक आयोग के बारे में भी उल्लेख किया गया है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि श्री मीनू मसानी इजरायल समर्थक और अरब विरोधी हैं। यह बात बिल्कुल गलत है।

केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। दूसरे सदन में भी इसका उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि इस विषय पर राष्ट्रीय चर्चा कराई जाये। समाचारपत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चर्चा तो हो ही रही है यहाँ पर भी इसका उल्लेख किया जा रहा है लेकिन इस विषय पर हम विशेष चर्चा नहीं करा सकते। ऐसा संभव नहीं है। जो लोग इस मामले पर मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं वह जितनी बार चाहें चर्चा करें मैं इसके लिये तैयार हूं।

बेरोजगारी के प्रश्न का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन निश्चय ही उसमें यह कहा गया है कि आर्थिक सुधारों के लिये कार्यवाही की जा रही है। बेरोजगारी दूर करने का यह भी एक तरीका है। अतः यदि यह समझा जाता है कि इस बारे में विशिष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है तो अगली बार इस सम्बन्ध में हम सतर्क रहेंगे।

यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे कह दिया गया कि अथाह पूंजी कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में है। यह हमारे कार्यों का नतीजा नहीं है। यदि एक फर्म अथवा एक परिवार की आस्तियां पिछले छह-सात वर्षों में 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये हो गई हैं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? हम इसके लिये निश्चय ही जिम्मेदार नहीं हैं। बहरहाल हम यह जरूर सुनिश्चित करेंगे कि इतनी अथाह पूंजी गिने चुने लोगों के हाथों में न रहे। लेकिन इस कार्य में थोड़ा समय लगेगा।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है हम निश्चय ही इस सम्बन्ध में, ठोस कदम उठायेंगे विशेषकर उन वस्तुओं के सन्दर्भ में जिनकी सप्लाई कम है और जिनका आयात किया जा सकता है, और उनका आयात हमने किया है तथा उनके मूल्यों में कमी हुई है।

चीनी के मूल्यों में भी कमी हुई है और अब लोग यह चिल्ला रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ने चाहिये हर वर्ग के लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। हमें सभी के हितों में सन्तुलन रखना है और यही हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद इसके परिणाम दिखने लगेंगे। सर्वाधिक आश्चर्य चकित करने वाली बात यह है कि विपक्ष के नेता ने जांच आयोगों का उल्लेख किया है। उन्होंने यह कह कर अपनी ही सुरक्षा की है कि इस मामले में उन्होंने कोई अनुसन्धान नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने यहां पर सुनी सुनाई अथवा गैर-जिम्मेदार समाचारपत्रों के आधार पर बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि 49 आयोग नियुक्त किये गये हैं। उनमें से एक ने तो अपना प्रतिवेदन दे दिया है। शेष आयोग भी तीन-चार वर्ष तक नहीं बैठे रहेंगे।

उन्होंने कहा है कि इन पर 900 करोड़ रुपये व्यय होगा। अब तक इन आयोगों पर 35 लाख रुपये व्यय हुए हैं। यह व्यय 1 करोड़ से अधिक नहीं होगा।

राज्यों में 18 आयोग कार्यरत हैं इनमें 10 ऐसे राज्यों में हैं जिनमें माननीय सदस्य का दल सत्तारूढ़ है। वह तो इसे अभी भी आवश्यक समझते हैं परन्तु हमारे लिये वही अनावश्यक हैं।

यह भी कहा गया है कि सरकार की भूमि सुधार नीति से धनी किसानों को ही लाभ पहुंचेगा। मैंने बड़े जमींदारों के विरुद्ध अभियान 1937 में ही चलाया था। बम्बई में हमने 1946 में ही किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया था।

श्री यशवन्त राव चह्वाण (सतारा) : रोजगार ग्रान्टी अधिनियम के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री मोरारजी देसाई : हम रोजगार देने के पक्ष में हैं बेरोजगारी भत्ता देने के पक्ष में नहीं हैं।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि वेतन को उत्पादन से जोड़ा जाये।

यह सच नहीं है कि कांग्रेस शासन में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन अधिक था। परन्तु पिछले वर्ष का कृषि उत्पादन उससे पूर्व वर्ष से अधिक था।

ग्रामीण क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय कम रही है। इसी लिये ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने को प्रथम वरीयता देना चाहते हैं। हम काम का प्रचार कम करना चाहते हैं तथा वास्तविक कार्य अधिक करना चाहते हैं। आश्चर्य है कि यह कहा जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र की अवहेलना की जा रही है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सरकारी क्षेत्र की ओर हम अधिक ध्यान देना चाहते हैं तथा इसे अधिक सक्षम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र सहयोग से कार्य करे तथा देश में मिश्रित अर्थ व्यवस्था पनपे।

यह भी कहा गया है कि विभिन्न आयोगों की नियुक्ति कुछ व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए की जाती है। हमें बताया जाए कि पार्टी से किस व्यक्ति को आयोगों में लिया गया है।

परिवार नियोजन कार्य को हम बहुत अधिक महत्व देते हैं। आपात स्थिति की प्रतिक्रिया के कारण इस कार्य को आघात पहुंचा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगामी दो वर्षों में इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

दल-बदल के विरुद्ध विधेयक हम शीघ्र लाना चाहते हैं। लोकपाल विधेयक के अन्तर्गत प्रधान मंत्री तथा सभी संसद सदस्यों को लिया जाना चाहिये।

ईरान और जापान के साथ विशेष सम्बन्धों का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी के साथ भी विशेष सम्बन्धों का प्रश्न नहीं उठता। मैत्री सम्बन्धों को दृढ़ बनाने के लिये सभी देश हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं।

नशाबन्दी कार्यक्रम की आलोचना की जा रही है। यह कार्यक्रम संविधान में सम्मिलित है। क्या आज के लोग संविधान निर्माताओं से अधिक बुद्धिमान हैं। यह कार्यक्रम गरीबों के कल्याण के लिए ही है। हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि नशाबन्दी हमारे लिए अनिवार्य है। निर्वाचन के समय कर्नाटक सरकार भंग कर दी गई। ऐसा काँग्रेस के बटवांरे एवं उनके आन्तरिक झगड़ों के कारण करना पड़ा ताकि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। सदस्यों को मेरी भूलें दर्शाने का अधिकार है। परन्तु कृपया जो दोष नहीं है वे तो मत दिखायें।

डा० कर्ण सिंह (जम्मू): मैं प्रधान मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

यह सभा तथा राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग का स्वागत करता है। कुछ राज्यों में हिन्दू अल्प मत में हैं। क्या यह आयोग उनके हितों का भी ध्यान रखेगा?

श्री मोरारजी देसाई: जिस राज्य में जो समुदाय अल्पसंख्या में हों वे अल्पसंख्यक होने के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

डा० कर्ण सिंह: क्या यह जम्मू काश्मीर पर भी लागू होगा?

श्री मोरारजी देसाई: इसका निर्णय आयोग को लेना है।

SHRI RAM DHAN (Lalganj): May I seek a small clarification from the hon. Prime Minister. He has not uttered a single word about scheduled castes and scheduled tribes. Would he throw some light on it.

श्री मोरार दसाई: मैं समझता हूं कि मैं इस मामले में दो तीन बार सभा में बोल चुका हूं इस मामले को मैं गम्भीरता से लेता हूं। इसी लिये हमने स्थाई आयोग की नियुक्ति की है। यह राष्ट्रीय समस्या है तथा मुझे उम्मीद है कि सभी पक्ष इस मामले में सहयोग देंगे ताकि हम इस बुराई को दूर कर सकें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए:

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय: अब मैं मूल प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है:—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 20 फरवरी, 1978 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।' "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was passed.